

अधिसचना

न० 1979/एस०ई०सी०/-ई111/95

दिनांक 13-1-95

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) का अनुसरण करते हुए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम जो सदस्य जिला परिषद जिन्द जिला जिन्द के सदस्य चुने गये हैं, अधिसूचित किये जाते हैं:-

क्रमांक	वार्ड न०	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	वर्ग/सा०/आरक्षित
1.	2.	3.	4.
1	1	रामस्वरूप पुत्र श्री गोपी	अ०ज०
2	2	दूना राम पुत्र रामानन्द	अ०ज०
3	3	गुरनाम सिंह पुत्र दलीपा	सा०
4	4	निर्मला पत्नी नफेसिंह	अ०ज०5
5		रामकला पुत्र माईलाल	सा०
6	6	रामपाल पुत्र पोहलू	सा०
7	7	सरोज बाला पत्नी धर्मपाल	सा०
8	8	भागचन्द पुत्र फता	सा०
9	9	रामकला पुत्र मुख्तयारा	अ०ज०
10	10	बलराज पुत्र राजमल	सा०
11	11	दरिया सिंह पुत्र हरि सिंह	सा०
12	12	रिक्त स्थान आदेश	
13	13	जयकृष्ण पुत्र निहाल	सा०
14	14	उमेद सिंह पुत्र जोगी राम	सा०
15	15	कृष्णा पत्नी प्रताप सिंह	सा०
16	16	दया सिंह पुत्र जागे राम	सा०
17	17	जैय देवी पत्नी रामफल	सा०
18	18	सन्तोष पत्नी जय नरायाण	सा०
19	19	धमेन्द्र पुत्र प्रकाश चन्द	पि०जा०
20	20	मुशीला पत्नी ओमपाल	सा०

माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 1740 आफ 1994 में दिनांक 21.12.94 को पारित आदेशों के अनुसार उपरोक्त परिणाम इस याचिका के परिणाम पर आधारित होंगे।

जे. के. दुग्गल  
राज्य निर्वाचन आयुक्त  
हरियाणा, चण्डीगढ़